

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला
झालावाड़

पीठासीन अधिकारी:- पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 20/25
दायर दिनांक :- 25.09.2025
निर्णय दिनांक:- 24.04.2026

उनवान :-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 मनोहरथाना

बनाम

अनोखबाई पुत्री घन्ना जाति चमार वगै0

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

- उपस्थित :- 01. श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार, पैरोकार सरकार
02. श्री गजेन्द्र नामा एडवोकेट अप्रार्थीगण
03. श्री केसरी सिंह पुष्पद अभिभावक अप्रार्थीगण

:- निर्णय :-

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार तहसील मनोहरथाना द्वारा सेटलमेंट से पूर्व सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण की गैर-खातेदारी में दर्ज आराजी के स्थान पर राजकीय भूमि गैर-मुमकीन सिवायचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दांगीपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ के आराजी खाता संख्या 260 किता 16 कुल रकबा 6.4832 हैक्टैयर भूमि अप्रार्थीगण अनोखबाई पुत्री घन्ना जाति मचार वगै0 के गैरखातेदारी में राजस्व रिकार्ड दर्ज है। राजस्व ग्राम दांगीपुरा तहसील म0 थाना की उक्त प्रश्नगत आराजी कुल किता 16 कुल रकबा 6.4832 हैक्टैयर भू प्रबंधन विभाग द्वारा शौल्या पुत्र गोपाल, गोदिया पुत्र गमना, नि0 दांगीपुरा तहसील मनोहरथाना की गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गई जो कि राजकीय भूमि थी जिसे किसी दूसरे व्यक्ति/संस्था के पक्ष में गैर-खातेदार नहीं किया जा सकता था, सेटलमेंट जमाबंदी में आवंटन आदेश व दिनांक एवं नामान्तकरण संख्या का अंकन नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा गैर-खातेदारी गलत दर्ज की गई है जिसे शुद्ध किया जाना उचित है जिस हेतु नकल जमाबंदी भी प्रार्थना पत्र के संलग्न की गई है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम दांगीपुरा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ के आराजी खाता संख्या 260 किता 16 कुल रकबा 6.4832 हैक्टैयर भूमि को सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध कर अप्रार्थीगण की गैर-खातेदारी के स्थान पर "माफी बलाईगिरी" राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।



उपखण्ड अधिकारी एवं प्रशासक
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण गैर-खातेदार को जर्ने नोटिस तलब किया गया। संलग्न जमाबंदी संवत् 2072-75 के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 6,23,30, व 36 की ओर से वकील श्री केसरी सिंह पुष्पद एवं शेष अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री गजेन्द्र नामा० का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि ग्राम दांगीपुरा की प्रश्नगत आराजी खाता संख्या 260 पुराना 220 किता 16 कुल रकबा 6.4832 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण के सह-गैरखातेदारी में दर्ज है। जिसके संदर्भ में जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त आराजी माफी बलाईगिरी चाकरी एवं कब्जा गुमना, शोला नामक व्यक्तियों के नाम दर्ज हुई थी। उक्त आराजी पर गमना, शोला निरन्तर बईल्म काबिज काश्त करता चला आ रहा था इसी आधार पर शोला के पक्ष में इत्तकाल नं० 367 दिनांक 18.03.1946 खोला गया, जिसकी छायाप्रति जवाब के संलग्न की गई है। उक्त वर्णित आराजी पर गैर खातेदार शोला पुत्र गोपाल जाति चमार अपने जीवनकाल में सन् 1943 से पूर्व से काबिज काश्त था तथा उसके उपरान्त उसके वारिसान निरन्तर वर्तमान तक प्रश्नगत आराजी पर निर्विरोध काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। शोला, गमना के बाद से अब तक लगातार 78 वर्षों से उक्त प्रश्नगत आराजी निर्विरोध कब्जा काश्त चला आ रहा है, कब्जा मुखालफाना के आधार पर उक्त आराजी पर हम मालिक स्वामी एवं काबिज है अतः जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि मुताबिक पटवारी मौका रिपोर्ट एवं जमाबंदी ग्राम दांगीपुरा की आराजी खाता संख्या 260 किता 16 रकबा 6.4832 हैक्टेयर भूमि बंदोबस्त से माफी चाकरी देह बलाईगिरी व कब्जा शोला पुत्र गोपाल, गोदिया पुत्र गमना जाति चमार नि० दांगीपुरा की गैर-खातेदारी में दर्ज हो गई है। उक्त प्रश्नगत आराजी पर गैरखातेदारान अथवा उनके वारिसान का कई वर्षों से कब्जा काश्त नहीं है। प्रश्नगत आराजी गलत तरीके से गैर खातेदारी में दर्ज होना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उक्त प्रश्नगत आराजी खाता संख्या 260 पुराना 220 किता 16 कुल रकबा 6.4832 हैक्टेयर को अप्रार्थीगण की "गैरखातेदारी" के स्थान पर "माफी बलाईगिरी" दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, पटवारी मौका रिपोर्ट एवं वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउंटर क्लेम का पूर्ण अवलोकन किया एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन एवं बहस पेरोकार सरकार पर मनन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण अनोखबाई वगै० जाति चमार नि० दांगीपुरा जो कि वर्तमान में गैरखातेदार दर्ज है को गलत तरीके से गैर खातेदारी में दर्ज हुई है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं काउंटर क्लेम के माध्यम से भी उन्हें किसी भी तरह का अनुतोष प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है प्रश्नगत आराजी अप्रार्थीगण जो कि वर्तमान में गैरखातेदार दर्ज है के पूर्वज




उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
मनोहरथाना, जिला इलाहाबाद (राज.)

प्रकरण संख्या :- 20/25
तहसीलदार म0 थाना बनाम अनोखबाई वगै0
निर्णय दिनांक :-24.04.2026

शोला पुत्र गोपाल, गोदिया पुत्र गमना जाति चमार नि0 दांगीपुरा तहसील मनोहरथाना के नाम बंदोबस्त से पूर्व अवैधानिक तरीक से गैर-खातेदारी में दर्ज हुई थी। चूंकि सैटलमेंट विभाग को माफी बलाईगिरी में दर्ज आराजी को गैर खातेदारी में दर्ज करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होने के बावजूद गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया जो कि नियमानुसार उचित और विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम दांगीपुरा की प्रश्नगत आराजी खाता संख्या 260 पुराना 220 किता 16 कुल रकबा 6.4832 हैक्टेयर जो कि "अप्रार्थीगण अनोखबाई वगै0" के नाम गैरखातेदारी में अशुद्ध प्रविष्टि दर्ज है को नियमानुसार शुद्ध कर पुनः "माफी बलाईगिरी" में दर्ज किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार तहसील मनोहरथाना को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तामील तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।




(पुष्कर कुमार मित्तल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना